न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–22/2020

1. विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति विश्नोई उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं.–2 चक 5 एमडी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. देवेन्द्र मांझू पुत्र ओमप्रकाश जाति विश्नोई उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नं.–2 चक 5 एमडी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

–– वादीगण

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम जाति विश्नोई उम्र 70 वर्ष निवासी वार्ड नं.–2 चक 5 एमडी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
2. सरिता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी रामचन्द्र जाति विश्नोई उम्र 42 वर्ष निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सोनिका पुत्री ओमप्रकाश पत्नी विक्रमजीत जाति विश्नोई उम्र 38 वर्ष निवासी जामनगर तहसील व जिला बीकानेर(राज.)
4. प्रियंका पुत्री ओमप्रकाश पत्नी विनय कुमार जाति विश्नोई उम्र 33 वर्ष निवासी जामसर तहसील व जिला बीकानेर(राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़

––––प्रतिवादीगण

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं शाश्वत व्यादेश

::निर्णय:: **दिनांक–02/08/2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–1ता4 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 5 एमडी बी तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं. –122/1 मुरब्बा नं.–38 के किला नं.–1ता20 की कुल 5.060 हैक्टर कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2 ता4 की पैतृक कृषि भूमि है। संयुक्त परिवार के कर्ता खानदान प्रतिवादी संख्या–1 है। वाद पत्र की मद संख्या–3 वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का उसकी वाके चक 60 एलएनपी तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 85/86 के मुरब्बा नं.–54 (6.325 हैक्टर), 80 (1.265 हैक्टर), 81(1.265 हैक्टर), कुल 8.855 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से संयुक्त खाता में 1/2 हिस्सा यानि 4.428 हैक्टर रकबा के तबादला में अपने सगे भाई दलीप कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति विश्नोई निवासी चक 5 एमडी बी तहसील अनूपगढ़ की उसकी वादग्रस्त कृषि भूमि चक 5 एमडी बी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/27 का पत्थर सं.–122/1 का मुरब्बा नं.–38 की कुल 5.060 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में से किला नं.–1ता 17 (प्रत्येक 0.253 हैक्टर), 18 (0.253 हैक्टर) कुल 4.448 हैक्टर के तबादला में प्राप्त हुई तथा इसी मुरब्बा की शेष कृषि भूमि किला नं.–18 की 0.126 हैक्टर व किला नं.–19, 20 प्रत्येक 0.253

हैक्टर कुल 0.632 हैक्टर भूमि जरिये दान–पत्र का इंतकाल संख्या 177 दिनांक 20.09.2012 का प्रतिवादी संख्या–1 के नाम स्वीकृत किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 की चक 60 एल.एन.पी. की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 को अपने पिता मनीराम से प्राप्त हुई थी तथा मनीराम को अपने पिता मामराज से विरासतन प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार वाद पत्र की मद संख्या–3 में वर्णित कृषि भूमि जो प्रतिवादी संख्या 01 को अपने भाई दलीप कुमार से चक 60 एल एन पी की भूमि के तबादला में प्राप्त हुई है। उक्त वाद–पत्र की मद संख्या–3 में वर्णित कृषि भूमि भी प्रतिवादी संख्या–1 के भाई दलीप कुमार व प्रतिवादी संख्या–1 सहित अन्य वारिसान को वादीगण के दादा मनीराम से विरासतन प्राप्त हुई जिसका विरासतन इंतकाल मनीराम के सभी वारिसान के नाम से दर्ज हुआ तथा दलीप कुमार को छोडकर अन्य चारों वारिसान ने दलीप कुमार के पक्ष में जरिये दस्तबदारी छोड दिया था जिसका इंतकाल संख्या–102 दिनांक–20.09.2005 को दलीप कुमार के पक्ष में स्वीकृत किया गया। इस प्रकार से वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के दादा मनीराम से प्रतिवादी संख्या–1 को प्राप्त कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या–2ता4 का जन्म से ही बहिस्सा बराबर का हक व हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या–1 के नाम वाद पत्र की मद संख्या–3 में वर्णित कृषि भूमि मे वादीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा का हक व हिस्सा निहित है वादीगण प्रत्येक अपना 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक बतौर खातेदार काबिज काश्त है परन्तु कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने के कारण वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए वादीगण प्रत्येक अपने 1/6 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करवाने का हकदार है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–2 ता4 की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–2ता4 का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। वादीगण घरू बंटवारा अनुसार अपने अपने 1/6 हिस्सा पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या–01ता04 का घरू बंटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बंटवारा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1ता4 अपने अपने कब्जा काश्त मुताबिक हिस्सा काश्त कर रहे है। परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 के मन में लालच पैदा हो गया है क्योंकि वादीगण द्वारा अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि को अपनी मेहनत व कमाई से अत्यधिक उपजाउ बनाया है। अब प्रतिवादी संख्या–01 वादीगण की कृषि भूमि को हड़पना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या–1 अत्यधिक खर्चीला व नशेड़ी प्रवृत्ति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या–1 अपने नाम से दर्ज वाद–पत्र की मद संख्या 3 मे दर्ज कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुंतकिल करने पर आमदा है यदि यह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना नितांत ही मुश्किल होगा। इसलिए वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–1 इस आशय की शाश्वत व आदेश प्राप्त करने का हकदार है कि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या–1 रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुंतकिल न करे व मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे व वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि को खुर्द बुर्द ना करे व कब्जा में मदाखलत ना करें। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या–1 को कई दफा कहा कि वे प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित

करवाते हुए राजस्व रिकॉर्ड के अंकन करवा देवे व अपने नाम से दर्ज भूमि को रहन, बैय व अन्य प्रकार से मुंतकिल न करें तो वे कुछ दिन तो टाल मटोल करते रहे परन्तु आज से करीब 5 दिन पूर्व वे ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या–1ता4 की तरफ से अधिवक्ता श्री शिशपाल सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादीगण संख्या–1,3,4 की तरफ से इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–2 एवं 5 द्वारा समनों की सम्यक् तामील के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपसंजात होकर अपनी प्रतिरक्षा में लिखित कथन प्रस्तुत नही किया गया, फलतः प्रतिवादी संख्या–2 एवं 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या–1,3,4 ने अपने इकबालदावा में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं.–2ता4 वादग्रस्त कृषि भूमि मे जन्म से हक वा हिस्सा निहित होने के कारण प्रतिवादीगण सं.–1,2,3,4 का भी वादीगण के साथ–साथ 1/6 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है तथा माननीय न्यायालय से प्रतिवादीगण वादीगण के साथ–साथ अपना हिस्सा 1/6 हिस्सा घोषित करवाने का निवेदन करते है। वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष वादीगण के साथ–साथ प्रतिवादीगण सं.–1,3,4 को भी प्रदत्त किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक को 1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर डिक्री फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया। पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वाद–वादीगण इकबालदावा के आधार पर निर्णित करने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त प्रकरण इकबालदावा के आधार पर वाद वादी बहक डिक्री फरमाया जावे तो वादीगण एवं प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नहीं है। पत्रावली में आये उपर्युक्त अभिवचनों एवं इकबालदावा की रूह से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर चक 5 एमडी 'बी' तहसील अनूपगढ़ का पत्थर नं.–122/1 मुरब्बा नं.–38 के किला नं.–1ता20 की कुल 5.060 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1ता4 को ब.हि.ब. खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार अनूपगढ़ राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश को दिये जाते है। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़